



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 739) पटना, वृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2022

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना  
14 सितम्बर, 2022

सं० 6/अग्नि०से०-01-16/2021गृ०आ०-9357—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 6, 2014) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021" में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- नाम, विस्तार एवं प्रारंभ—(1) यह नियमावली "बिहार अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022" कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली के नियम-4 (क) के "पदीय समकक्षता" से संबंधित कॉलम को संशोधित करते हुए नियम-4 (क) के नाम एवं पदनाम कॉलम को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-  
(क) वरीय सेवा संवर्ग (राजपत्रित) :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदीय समकक्षता
01	निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	वरीय पुलिस अधीक्षक (सेलेक्शन ग्रेड)/स्टाफ ऑफिसर के समकक्ष। (राजपत्रित, वेतन स्तर-13)। इस पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति तक भारतीय पुलिस सेवा के उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जा सकेगा।
02	अपर निदेशक-सह-सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष। (राजपत्रित, वेतन स्तर-12)। नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक इस पद पर पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक के पदाधिकारी को अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जा सकेगा।
03	उप निदेशक	वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष (राजपत्रित, वेतन स्तर-11)।

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	पदीय समकक्षता
04	सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी / जिला अग्निशमन पदाधिकारी	पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष (राजपत्रित, वेतन स्तर-9)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव।

*The 14<sup>th</sup> September 2022*

**No.-6/Agni0Se0-01-16/2021H.P-9357**--In exercise of Powers Conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India and section 63 of the Bihar Fire Service Act, 2014 (Bihar Act 6, of 2014), the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules to amend the "Bihar Fire Service Rules, 2021" :-

**1. Short title, extent and commencement.**- (1) These Rules may be called "The "Bihar Fire Service (Amendment) Rules, 2022"

(2). It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3). It shall come into force from the day of publication in the official Gazette.

**2.** In these Rule, post equivalence column of Rule 4 (A) shall be modified and column of Name and designation under Rule 4 (A) shall be substituted with the following:-

(A) Senior Service Cadre (gazetted) :-

SL. No.	Name and designation	Post equivalence
01	Director-cum-State Fire Officer	Equivalent to S.S.P (Selection Grade)/ Staff Officer. (Gazetted, Pay Level-13) Officers of the rank of Deputy Inspector General from Indian Police Service shall be deputed on this post in his own scale till regular appointment/promotion.
02	Additional Director-cum-Assistant State Fire Officer	Equivalent to Additional Superintendent of Police. (Gazetted, Pay Level-12) Officers of the rank of Superintendent of Police or Additional Superintendent of Police shall be deputed on this post in his own scale till regular appointment/promotion.
03	Deputy Director	Equivalent to Senior Deputy Superintendent of Police. (Gazetted, Pay Level-11)
04	Assistant Divisional Fire Officer / District Fire Officer	Equivalent to Deputy Superintendent of Police. (Gazetted, Pay Level-9)

**By order of the Governor of Bihar,  
Girish Mohan Thakur,  
Under Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 739-571+10-डी0टी0पी01  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>